

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 190]
No. 190]दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 2001/कार्तिक 29, 1923
DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 2001/KARTIKA 29, 1923[रा.रा.क्षे.दि. सं. 265
[N.C.T.D. No. 265भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवित्त (व्यय-1) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 20 नवम्बर, 2001

सं. फा. 6 (11)/95-वित्त (सामान्य)/811ख.—राज्य वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा 10(ख) 10 (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार के इस आशय के आदेश सं. फा. 6(11)/95-वित्त (सामान्य)/897-910 ख दिनांक 9-11-2000 के आंशिक संशोधन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित को तत्काल दिल्ली वित्त निगम के निदेशक बोर्ड के निदेशकों के रूप में मनोनीत करते हैं अर्थात्:—

| क्र. सं. | नाम | पद |
|----------|---|--|
| 1. | श्री राधेश्याम खन्ना, सदस्य दिल्ली विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली सरकार | निदेशक, दिल्ली सरकार का मनोनीत |
| 2. | श्री रमेश चन्द्र, प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली सरकार | निदेशक, दिल्ली सरकार का मनोनीत |
| 3. | सचिव प्रशासन (उद्योग) चण्डीगढ़ | निदेशक, संघ राज्य चण्डीगढ़ का मनोनीत |
| 4. | भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा मनोनीत दो सदस्य | निदेशक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मनोनीत |

बोर्ड के अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक दिल्ली वित्त निगम होंगे। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को छोड़ कर पहले गठित बोर्ड के सभी निदेशक पहले वर्ष के अंत में सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर
दीपक वीरमानी, उप सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 नवम्बर, 2001

सं. फ़. 21 (60) 2001/स्वा. एवं घटि. क. वि./618.—स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 12 अक्टूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या 12-72/57डी के साथ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराष्ट्रपाल, निर्धारित शैक्षिक योग्यतायें रखने वाले निम्नलिखित औषधि निरीक्षकों को सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली के लिए औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

1. श्री दिनेश बोकन
2. श्री दीपक शर्मा
3. श्री महिन्द्र सिंह
4. श्री अजय सचान
5. श्री मो. असद तसलीम अन्सारी
6. श्री संजय कुमार
7. श्री राजीव भार्गव
8. श्री रोहित बाजपेयी
9. श्री आशुतोष शर्मा
10. श्री बलराम साहू
11. श्री अभिजीत घोष
12. श्री डी. सुधाकरन
13. श्री सन्दीप बी. जीवनापुरकर

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th November, 2001

No. F. 21(60) 2001/H&FW/618.—In exercise of the power conferred by Section 21 of the Drugs & Cosmetics Act, 1940 read with the Government of India, Ministry of Health's Notification No. 12-72/57-D, dated the 12th October, 1957 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is hereby appoints the following Drugs Inspectors having the prescribed qualifications, as Drugs Inspectors for the whole of the National Capital Territory of Delhi.

1. Sh. Dinesh Boken
2. Sh. Deepak Sharma
3. Sh. Mahender Singh
4. Sh. Ajay Sachan
5. Sh. Mohd. Asad Tasleem Ansari
6. Sh. Sanjay Kumar
7. Sh. Rajeev Bhargava
8. Sh. Rohit Bajpai
9. Sh. Ashutosh Sharma
10. Sh. Balram Sahu
11. Sh. Abhijit Ghosh
12. Sh. D. Sudhakaran
13. Sh. Sundeep B. Jivnapurkar